OPJU

NAAC A GRADE Accredited University

IMPORTANT ADVISORY

Subject: Important Advisory on Anti-Ragging Regulations

Dear Parent/Guardian,

Greetings from O.P. Jindal University!

Congratulations! on completion of the first year of your ward at OPJU. This milestone reflects not only their hard work and dedication, but also your continuous support and encouragement. We extend our heartfelt congratulations to you and your family.

As your ward enters the next phase of their academic journey, we would like to take this opportunity to bring to your attention the **UGC regulations and legal provisions related to the prevention of ragging** in higher education institutions. **Ragging is strictly prohibited under the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009**, and is considered a punishable offense under various sections of the Indian Penal Code. Ragging, in any form—physical, verbal, emotional, or psychological—is not tolerated at OPJU.

The UGC mandates that any student found guilty of ragging is liable to face one or more of the following punishments:

- Suspension from attending classes
- Withholding of scholarships or other benefits
- Debarring from appearing in any examination
- Expulsion from the institution and possible criminal proceedings under applicable laws

We have established an active Anti-Ragging Committee and Squad at OPJU, and your ward is encouraged to report any incidents, if observed. Strict disciplinary action will be taken against anyone found indulging in such activities.

We seek your cooperation in sensitizing your ward to uphold the university's values of mutual respect, harmony, and academic integrity. Let us work together to ensure a safe and nurturing environment for all students on campus.

Please do not hesitate to contact us for any further assistance or clarification.

Warm regards,

Vijay 24/7/2025

(Dr. Anurag Vijaywargiya)
Registrar

OPJU

NAAC GRADE A Accredited University

महत्वपूर्ण सूचना

विषय: रैगिंग विरोधी नियमों हेतु महत्वपूर्ण सलाह

प्रिय अभिभावक,

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं !

हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके पाल्य ने हमारे विश्वविद्यालय में अपने स्नातक कार्यक्रम का प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यह उपलब्धि न केवल उनके परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है, बल्कि इसमें आपके निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपको और आपके परिवार को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हैं।

आपका पाल्य अपने शैक्षणिक जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, हम इस अवसर पर आपको रैगिंग की रोकथाम से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराना चाहेंगे।

UGC के वर्ष 2009 संबंधी विनियमों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में जैसे शारीरिक, मौखिक, मानसिक या भावनात्मक — रैगिंग को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाता है।

UGC के अनुसार रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले छात्र को निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक दंड दिए जा सकते हैं:

- कक्षाओं में उपस्थिति पर रोक
- छात्रवृत्ति या अन्य लाभों पर रोक
- किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित करना
- संस्थान से निष्कासन एवं आवश्यकतानुसार आपराधिक कार्यवाही

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय में एक सक्रिय रैगिंग विरोधी समिति एवं स्क्वॉड गठित की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाल्य को लगातार जागरूक किया जाता है कि वे किसी भी रैगिंग की घटना की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पाल्य को विश्वविद्यालय के मूल्यों — आपसी सम्मान, सद्भावना और शैक्षणिक ईमानदारी के पालन के लिए प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर परिसर को सभी छात्रों के लिए सुरक्षित एवं सकारात्मक बनाए रखें।

सधन्यवाद

24/7/2025

(डॉ॰ अनुराग विजयवर्गीय)
कुलसचिव